



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127931

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मामले संख्या - 8429 वर्ष 2026

सुरेन्द्र कुमार

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : लक्ष्मी कांत पाण्डेय, संदीप कुमार पाण्डेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 46

माननीय गरिमा प्रसाद, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत वर्तमान याचिका के माध्यम से, याची ने अपर सत्र न्यायाधीश, वाराणसी द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 273 वर्ष 2024 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2026 तथा परिवाद मामला संख्या 17154 वर्ष 2020 में पारित आदेश दिनांक 24.07.2024 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा विपक्षी संख्या 2 द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 143-ए के अंतर्गत दाखिल प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर लिया गया है और याची को चेक की राशि के 20% की सीमा तक अंतरिम प्रतिकर का भुगतान करने का निदेश दिया गया है।
3. याची के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद मिथ्या रूप से संस्थित किया गया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी संख्या 2 के प्रति कोई विधिक रूप से प्रवर्तनीय दायित्व नहीं था और यह कि प्रश्नागत चेक खो

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गया था/चोरी हो गया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि उपर्युक्त बचाव के बावजूद, निचली अदालतों ने यांत्रिक रूप से अधिनियम की धारा 143-ए के अंतर्गत अंतरिम प्रतिकर के भुगतान का निदेश दिया है। राकेश रंजन श्रीवास्तव बनाम झारखंड राज्य, (2024) 4 एससीसी 419 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर यह तर्क प्रस्तुत करने हेतु भरोसा किया गया है कि धारा 143-ए के अंतर्गत अंतरिम प्रतिकर प्रदान करना विवेकाधीन है न कि आज्ञापक और यह कि न्यायालय को इसके भुगतान का निदेश देने से पूर्व प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने की आवश्यकता है।

4. मैंने याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई दलीलों पर विचार किया है तथा पत्रावली पर लाई गई सामग्री का अनुशीलन किया है।
5. राकेश रंजन श्रीवास्तव (उपरोक्त) में प्रतिपादित सिद्धांत के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143-ए के अंतर्गत शक्ति प्रकृति में विवेकाधीन है और इसे केवल इसलिए यांत्रिक रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया है। न्यायालय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अपना मस्तिष्क लगाना आवश्यक है और तत्पश्चात यह अवधारित करना है कि क्या धारा 143-ए द्वारा निहित विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए।
6. विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुशीलन यह इंगित करता है कि याची द्वारा उठाए गए बचाव पर विचार किया गया था। विचारण न्यायालय ने याची के इस रुख पर ध्यान दिया कि प्रश्नागत चेक खो गया था/चोरी हो गया था और आगे इस तथ्य पर विचार किया कि ऐसा कोई अभिवाक याची द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के अंतर्गत लेखबद्ध अपने कथन में नहीं लिया गया था। तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने अधिनियम की धारा 143-ए के अंतर्गत निहित विवेक का प्रयोग किया और चेक की राशि के 20% की सीमा तक अंतरिम प्रतिकर के भुगतान का निदेश दिया। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 143-ए के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र को यांत्रिक रूप से या याची द्वारा स्थापित बचाव पर ध्यान दिए बिना स्वीकार किया गया था।
7. तत्पश्चात पुनरीक्षण न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सत्यता, वैधता और औचित्य का परीक्षण किया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 और 401 के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, पुनरीक्षण न्यायालय पत्रावली की संवीक्षा करने और यह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अवधारित करने के लिए सशक्त है कि क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रयोग किया गया विवेक सुसंगत विचारों पर आधारित है।

8. वर्तमान मामले में, पुनरीक्षण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का स्वतंत्र रूप से परीक्षण किया और पाया कि प्रश्नागत चेक स्वीकार्य रूप से याची के खाते से संबंधित था और उस पर उसके हस्ताक्षर थे। यद्यपि याची ने यह तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास किया कि चेक खो गया था या चोरी हो गया था, परंतु ऐसे अभिवाक के समर्थन में कोई समकालीन सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई। चेक के कथित रूप से खोने या चोरी होने के संबंध में न तो कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट और न ही कोई अन्य विश्वसनीय दस्तावेजी सामग्री पत्रावली पर लाई गई।
9. पुनरीक्षण न्यायालय ने आगे पाया कि यह प्रदर्शित करने हेतु कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई थी कि चेक के भुगतान को रोकने के लिए बैंक को कोई अनुदेश जारी किए गए थे। इसने यह भी पाया कि प्रश्नागत चेक के संबंध में याची द्वारा असंगत रुख अपनाए गए थे। जहां एक अभिवाक यह था कि चेक खो गया था या चोरी हो गया था, वहीं दूसरे अभिवाक ने सुझाव दिया कि व्यापारिक लेनदेन के संबंध में हस्ताक्षरित चेक जारी किए जाते थे। कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया कि चेक शिकायतकर्ता तक कैसे पहुंचा।
10. पुनरीक्षण न्यायालय ने अतिरिक्त रूप से यह लेखबद्ध किया कि वैधानिक सूचना प्राप्त होने के बावजूद, याची द्वारा दायित्व का खंडन करने वाला कोई उत्तर नहीं भेजा गया था। इसने यह भी पाया कि चेक के खोने/चोरी होने के संबंध में अभिवाक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के अंतर्गत लेखबद्ध कथन में नहीं लिया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते समय इन परिस्थितियों को सुसंगत विचार माना गया।
11. इस प्रकार, विचारण न्यायालय ने याची द्वारा उठाए गए बचाव पर विचार करने के पश्चात अधिनियम की धारा 143-ए के अंतर्गत अपने विवेक का प्रयोग किया था और पुनरीक्षण न्यायालय ने, पत्रावली की स्वतंत्र संवीक्षा करने पर, विवेक के ऐसे प्रयोग में कोई त्रुटि नहीं पाई। पुनरीक्षण न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पहुंचे गए निष्कर्ष का समर्थन करने वाले अतिरिक्त कारणों को भी लेखबद्ध किया। निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों को सामूहिक रूप से पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 143-ए के अंतर्गत विवेक का प्रयोग मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात किया गया था, न कि सामान्य

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



क्रम में। राकेश रंजन श्रीवास्तव (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंगित आवश्यकता वर्तमान मामले के तथ्यों में विधिवत रूप से संतुष्ट होती है।

12. संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत इस न्यायालय की अधिकारिता पर्यवेक्षणीय प्रकृति की है। आक्षेपित आदेशों में कोई प्रत्यक्ष विकृति, स्पष्ट अवैधता या अधिकारिता संबंधी त्रुटि प्रदर्शित नहीं की गई है जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराए।

13. याचिका में गुण-दोष का अभाव है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

(गरिमा प्रसाद, न्यायमूर्ति)

18 जून, 2026

कुलदीप

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।